

ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास में बिहान योजना की भूमिका (धमतरी विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में)

* कामिन निर्मलकर
**एन. कुजूर

Received
03 April 2019

Reviewed
10 April 2019

Accepted
19 April 2019

भारत गांवों के देश है जहां के 79 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। इस बड़ी आबादी का आजीविका का प्रमुख साधन कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहा है। इनमें विशेषकर महिलाओं के प्रत्यक्ष रोजगार की चर्चा करे तो यहां महिलायें कृषि कार्य करती तो है किन्तु इन्हें कृषक की दर्जा भी प्राप्त नहीं रहा है। स्वतंत्र भारत में इन आधी आबादी को रोजगार एवं इन्हें आर्थिक रूप से समक्ष बनाना किसी चुनौति से कम नहीं रहा है। देश की यह आबादी अधिकांश आबादी गरीबी रेखा से नीचे आजीविका करता रहा है। ऐसे में इस आबादी को आर्थिक रूप से संपन्न किए बगैर देश को विकास को गति प्रदान करना संभव नहीं होगा। परिणाम स्वरूप भारत सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक स्वालंबन बानने हेतु समय-समय पर कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, इसी क्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) 2011 लागू किया गया है। योजना में ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़कर आर्थिक सशक्तिकरण करने का प्रयास है। प्रस्तुत अध्ययन में धमतरी जिला के महिलाओं के आर्थिक विकास में बिहान योजना की भूमिका को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है।

Key word : ग्रामीण गरीबी, आर्थिक सशक्तिकरण, जीवन स्तर में परिवर्तन।

प्रस्तावना :

भारतीय महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति प्राचीन काल से कमजोर रही है। सामान्यतः महिलाओं के आर्थिक स्थिति के संबंध में जब भी बहस होती है तो इनके इतिहास की चर्चा अवश्य की जाती है। प्राचीन काल से ही भारतीय महिलाओं को चार दिवारी के अन्दर रखा जाता रहा है तथा सामाजिक गतिविधियों से उन्हें दूर ही रखा जाता था। ग्रामीण महिलाओं की बात करें तो गरीब, कमजोर और निम्न जाति की महिलाओं की स्थिति और भी अधिक खराब थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान देश के समक्ष कई समस्याएं

विद्यमान थी इसमें महिलाओं से जुड़ी समस्यायें जैसे मातृ मुत्यु दर, शिशु मुत्यु दर, बेरोजगारी अशिक्षा, पुरुष समाज पर निर्भरता आदि कोई ज्वलंत समस्यायें थी, इन्ही समस्याओं को ध्यान में रखकर आजाद भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वय किया गया जैसे- सामुदायिक विकास योजना 1951, औद्योगिक केन्द्रों को विकास (दुर्गापुर, राउरकेला एवं भिलाई) 1956, नेहरू युवा केन्द्र 1972, समेकित बाल विकास सेवा परियोजना 1975, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 एवं मनरेगा 2005

* MSW Fourth Semester, School of Studies in Sociology & Master of Social Work.

**Associate Professor, School of Studies in Sociology & Master of Social Work. Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur,

इत्यादि। उपरोक्त कई योजनाओं को लागू करके सरकार ग्रामीण गरीबी एवं विशेषकर बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में लागू किया। योजना शेष ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक विकास के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखा गया है।

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत अप्रैल 2013 को हुआ। छत्तीसगढ़ में इस योजना को "नवा बिहान" के नाम से जाना जाता है। यह योजना छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में चल रही है, जो गरीब महिलाओं को आर्थिक स्वालम्बन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) जैसे-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, राष्ट्रीय महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 2005 आदि योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। सरकार द्वारा गांव के इन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करते के लिए, जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ में अप्रैल 2013 को हुआ।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 31 मार्च 2019 के अन्तर्गत मूल प्रदर्शन संकेतक में पुरे छत्तीसगढ़ में स्व: सहायता समूह का संचयी उन्नति में 130371 संख्या है।

भारत सरकार के आँकड़ों के अनुसार देश में कुल 55,33,055 एसएचजी है जिसमें कुल 6,03,35,054 सदस्य योजना से जुड़े हुये है। छत्तीसगढ़ में आजीविका मिशन के लाभार्थियों की बात करते है तो (2018-19)¹ में कुल एसएचजी 1,48,382 है, जबकि कुल आविहार की संख्या 15,99,619 सदस्य है जिसमें इतने सदस्य एससी 1,59,395, एसटी 7,50,322, अल्पसंख्यक 10,585 अन्य 6,71,317 कुल सदस्य 15,99,619 है। इसी प्रकार अध्ययन गत क्षेत्र धमतरी में कुल एसएचजी की संख्या 2,004 है, इसके लाभार्थियों की संख्या कुल 89,671 है। इनमें एससी के 1,657, एसटी 5,087 अल्पसंख्यक 123, इतने अन्य सदस्य 16,417 कुल सदस्य 23,284 लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ किसी न किसी रूप में मिला है।

धमतरी जिले में 4 विकासखण्ड हैं धमतरी, कुरुद, मगरलोड, नगरी। इसमें तुलानात्मक रूप से देखा जाये तो सर्वाधिक एसएचजी 2,281 कुरुद विकास खण्ड में जुड़े हैं तथा लाभार्थी सदस्यों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 14,831

लाभार्थियों में सबसे अधिक नगरी विकासखण्ड से लाभ प्राप्त किये है, जबकि दुसरे क्रम में इसी वर्ग के 5,07 सदस्यों को योजना का लाभ मिला है। इस प्रकार धमतरी जिले के चारो विकास खण्ड में सबसे कम एसएचजी 1,886 मगरलोड विकास खण्ड में है जबकि लाभार्थियों के कुल संख्या में 20,004 है। खोखर (2001)² ने अपने अध्ययन में इस तथ्य को पाया कि 63.9 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि तकनीक की जानकारी एवं सिचाई की वैकल्पिक सुविधा की आवश्यकता महसूस करता है। अर्थात उनके पास सिचाई व कृषि उपकरण का अभाव था।

घरामी एवं शर्मा (2002)³ जी ने अपने अध्ययन में पाया कि सर्वाधिक 66 प्रतिशत मजदूर दैनिक कृषि मजदूरी का कार्य करता था तथा शेष अन्य मजदूरी।

व्यास (2006)⁴ जी ने अपने अध्ययन से इस बात की पुष्टि करते है कि जनजातीय विकास के लिए आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु करोड़ों रुपये खर्च किये गये। दुसरी पंचवर्षीय योजना में जहां 5.84 करोड़ की धनराशि आबंटित थी, वह बढ़ते-बढ़ते पांचवी पंचवर्षीय योजना में 71.73 करोड़ हो गई और सातवीं पंचवर्षीय योजना में 601.45 करोड़ रुपया था, लेकिन इन सारे उपलब्धियों के बाद भी गरीबी, बेरोजगारी में कमी नहीं हो पायी है।

बिहान योजना का उद्देश्य:

बिहान योजना के निम्न उद्देश्य है -

1. ग्रामीण गरीबों की सतत् बैंकिंग सेवाओं तक सुनिश्चित करना।
2. ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं का लाभ स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लक्षितों तक पहुँचाना।
3. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका विकास सुनिश्चित करना।
4. गरीब महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण करना।
5. चयनित जिलों के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार से एक महिला को लेकर स्वयं सहायता समूहों की निर्माण करना तथा उस क्षेत्र को तीन वर्ष में ऐसे समूहों से संतृप्त कर देना।

बिहान योजना का मिशन :

बिहान योजना के मिशन निम्न बिन्दुओं पर आधारित है -

1. ग्रामीण गरीब महिलाओं में अपनी गरीबी मिटाने की मजबूत इच्छाशक्ति होती है। और इनके लिए उनमें भरपूर क्षमताएं भी है।

2. ग्रामीण गरीब महिलाओं की सहज क्षमताओं को उभारने के लिए उनकी सामाजिक एकजुटता के साथ-साथ महिलाओं को सशक्त संस्थाएं बनाना बहुत जरूरी है।

3. ग्रामीण गरीब महिलाओं में सामाजिक एकजुटता लाने, सशक्त संस्थाओं के निर्माण और सशक्तिकरण प्रक्रिया के लिए बाह्य समर्पित और संवेदनशील सहायक संरचना की जरूरत है।

4. जानकारी का प्रचार-प्रसार, कौशल विकास, उधार की सुविधा, बाजार तक पहुंच एवं आजीविका से जुड़ी अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने से गरीब लोग स्थायी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं।

हितग्राही की पहचान करने की प्रक्रिया :

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में ग्रामीण गरीब महिलाओं को लक्षित समूह में शामिल किये जाने के लिए समुदाय के स्तर पर, गरीबों की भागीदारी की पहचान के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित, पारदर्शी और न्यायसंगत प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है। रंज प्रक्रिया के माध्यम से ग्रामीण गरीब महिलाओं के रूप में पहचान सभी घरों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका लक्षित समूह है और इस कार्यक्रम के तहत सभी लाभ के लिए पात्र है।

लक्षित समूह गरीब की भागीदारी पहचान (पीआईपी) पद्धति के माध्यम से पहचाना जाता है। रंज के माध्यम से निकाली गई एनआरएलएम लक्ष्य समूह (एनटीजी) बीपीएल से अलग कर दिया जाता है। रोल-आउट करने के लिए रंज राज्यों में प्रयास शुरू कर दिया जाता है। रंज एक समुदाय संचालित प्रक्रिया की जरूरत है। यह सुनिश्चित करने के लिए, पहली रंज व्यायाम प्राथमिक संघ के गठन के बाद आयोजित किया जाता है। रंज गांव के गरीबों की सूची को संशोधित करने के लिए लगातार अन्तराल पर आयोजित किया जाता है रंज के माध्यम से पहचान गरीबों की सूची ग्राम सभा द्वारा पुनरीक्षित और ग्राम प्रचायत द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। रंज सूची के माध्यम से सभी घरों में एनआरएलएम के तहत सभी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य :

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं -

1. उत्तरदताओं की सामाजिक -सांस्कृतिक स्थिति को ज्ञात करना।

2. बिहान योजना में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन करना।

3. महिलाओं के आर्थिक विकास में योजना की भूमिका को ज्ञात करना।

अध्ययन पद्धति :

धमतरी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में स्थित एक नगर है। यह धमतरी जिले का मुख्यालय भी है। यह 6 जुलाई 1998 में बना। यह महानदी के समीप रायपुर से 55 कि.मी. दक्षिण में स्थित है, यह रेलवे का अन्तिम स्टेशन है, इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में नहरो द्वारा सिंचाई होती है, जिससे कृषि क्षेत्र का यह केन्द्र है। इसके अतिरिक्त समीपवर्ती जंगलो से इमारती लकड़ी, लाख तथा हरीतकी या हर्षा का व्यापार होता है। यहां धान कुटने, आटा पीसने और लाख बनाने के अनेक कारखाने हैं। यह शिक्षा का केन्द्र भी है। यहां एक औद्योगिक स्कूल है। दक्षिण,पश्चिम में शीसे की खाने हैं।

धमतरी जिले का जनसंख्या घनत्व 7,03,569 (2001 के अनुसार) और क्षेत्रफल 2,029 कि.मी. साक्षरता दर 75.16 प्रतिशत है। धमतरी जिले में 3 तहसील हैं, धमतरी, नगरी, कुरुद। 4 ब्लाक हैं, धमतरी, नगरी, कुरुद, मगरलोड़ है। जिसमें धमतरी विकासखण्ड के अन्तर्गत जितने भी गांव आते हैं, जहां बिहान योजना की शुरुआत 08 जनवरी 2015 में हुआ है।

प्रस्तुत अध्ययन धमतरी विकासखण्ड के अन्तर्गत जिनते भी क्षेत्र में बिहान योजना का कार्यक्रम चल रहा है, उसका महिला आर्थिक स्वालंबन बनाने में भूमिका का एक अध्ययन किया गया है। धमतरी में एन.आर.एल.एम. में कुल 23,284 महिलाएं जुड़ी हैं इनमें से 0.17 प्रतिशत अर्थात 40 हितग्राहियों का चयन दैव निदर्शन के लाटरी प्रणाली के द्वारा किया गया है।

तथ्यों के उचित संकलन साक्षात्कार-अनुसूची एवं अवलोकन प्रविधि के द्वारा उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क करके तथ्यों का संकलन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन एम.एस.डब्ल्यू चतुर्थ सेमेस्टर के परियोजना प्रतिवेदन पर आधारित है अतः निदर्शन का आकार छोटा है।

प्रस्तुतिकरण :

प्रस्तुत अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि आजीविका मिशन आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में कितना लाभकारी रहा है या नहीं। जिसके अन्तर्गत पारम्परिक व्यवसाय, शिक्षा, पारिवारिक मासिक आय। इन तथ्यों के द्वारा हितग्राहियों के आर्थिक सशक्तीकरण विकास में योजना कहां तक लाभ है। क्रमशः ज्ञात करने का प्रयास किया गया है।

उत्तरदाताओं के सामाजिक –सांस्कृतिक स्थिति:

प्रस्तुत अध्ययन में बिहान योजना से लाभान्वित, प्रभावित परिवार को योजना लाभ के पूर्व की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। जिसके

अन्तर्गत उनके परिवार के शिक्षा का स्तर, व्यवसाय एवं मासिक आय को प्रमुख रूप से ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। संकलित तथ्य का विवरण नीचे तालिका में प्रस्तुत है।

तालिका क्रमांक-1 सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि-

क्रं.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों के शिक्षा का स्तर ;(n=149) -		
	1.अशिक्षित	16	10.7
	2.प्राथमिक शिक्षा	47	31.5
	3.माध्यमिक शिक्षा	27	18.1
	4.हाई स्कूल	47	31.5
	4.स्नातक	5	3.4
	5.स्नातकोत्तर	7	4.7
	योग-	149	100.0
2.	उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों का व्यवसाय (n=149) -		
	1.कृषि	32	21.5
	2.मजदूरी	86	57.7
	3.नौकरी	13	8.7
	4.अन्य व्यवसाय	18	12.1
	योग -	149	100.0
3.	उत्तरदाताओं के परिवार का मासिक आय (n=40) -		
	1.1000 रुपये तक	11	27.5
	2.1000-5000	16	40.0
	3. 5000-10000	08	20.0
	4. 10000 से अधिक	05	12.5
	योग-	40	100.0

प्राप्त तथ्यों से ज्ञात हुआ होता है कि बिहान योजना से जुड़े हितग्राहियों के परिवार के सदस्यों का शिक्षा के स्तर में यहां देखने को मिलता है कि 31.5 प्रतिशत लोग प्राथमिक शिक्षा और हाई स्कूल की शिक्षा, 18.1 प्रतिशत लोग माध्यमिक शिक्षा, 4.7 प्रतिशत लोग स्नातकोत्तर की शिक्षा और 3.4 प्रतिशत लोग स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त किये हैं, तथा 10.7 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं।

सरकार के द्वारा शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए नये-नये योजनाओं का निर्माण किया जाता है, ताकि लोग शिक्षित हो सकें और अपने ज्ञान के आधार पर खुद का व्यवसाय कर सकें, लेकिन आज भी 57.7 प्रतिशत लोग मजदूरी कर रहे हैं, 21.5 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं, 8.7 प्रतिशत लोग ही नौकरी कर रहे हैं, और 12.1 प्रतिशत लोग अन्य व्यवसाय में कार्यरत हैं।

उत्तरदाताओं के परिवार का मासिक आय का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि 40.0 प्रतिशत लोगो 1000-5000 आय, 20.0 प्रतिशत लोगो का आय 5000-10000 आय, 12.5 प्रतिशत लोगो का आय 10000 रुपये से अधिक है तथा 27.5 प्रतिशत लोगो का आय 1000 रुपये से कम है।

बिहान योजना के कार्यक्रमों में भागीदारी :

छत्तीसगढ़ में बिहान योजना की शुरुआत अप्रैल 2013 को हुआ है। छत्तीसगढ़ में कुल 27 जिले हैं जिसमें से 22 जिलों में यह योजना चल रही है। छत्तीसगढ़ में इस योजना को " बिहान" के नाम से जाना जाता है जो ग्रामीण गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वात्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। धमतरी विकासखण्ड में बिहान योजना की शुरुआत 08 जनवरी 2015 में हुआ है।

तालिका क्रमांक- 2 कार्यक्रमों में भागीदारी

क्रमांक	विकास खण्ड	सदस्यों की संख्या
1	धमतरी	23,284
2	कुरुद	24,603
3	मगरलोड़	20,004
4	नगरी	21,780
	योग-	89671

स्रोत-जिला पंचायत धमतरी (छ.ग.)

प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि आजीविका मिशन में अत्यधिक महिलाओं कि संख्या कुरुद विकास खण्ड में है उसके बाद धमतरी विकासखण्ड, नगरी तथा मगरलोड़ में सदस्यों की संख्या बाकि विकासखण्ड कि तुलना कम है।

आर्थिक स्थिति में सुधार होना :

ग्रामीण भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कुल महिला श्रमिकों के अधिक से अधिक 89.5 प्रतिशत तक को रोजगार दिया था। आज भी कुल कृषि उत्पादन में महिलाओं की औसत भागीदारी का अनुमान कुल श्रम का 55 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत गरीब महिलाओं को समूह में विभाजित करके उनकी रूचि के आधार पर कार्य दिया जाता है। बिहान योजना के माध्यम से महिलाओं के आजीविका वाला व्यवसाय और आजीविका मिशन से प्राप्त आय के बारे में जानने का प्रयास किया गया है। कई बार यह देखा गया है कि योजना के लाभ लेने बाद भी हितग्राहियों आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाता है और वे कर्ज में फंस जाते हैं। माल एवं शाहो (2004)⁵ ने अपने - अपने अध्ययन में पाया कि 6.9 प्रतिशत उत्तरदाता दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए, 45.5 प्रतिशत त्यौहार, विवाह व उत्सव के अवसरों पर, 20.9 प्रतिशत कृषि कार्य के लिए तथा शेष परिवार, अन्य कार्य के लिए ऋण लिया था।

आजीविका मिशन के व्यवसाय का लाभ मिलना :

आजीविका मिशन में ग्रामीण गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग-अलग तरह के कार्यक्रम चलाया जाता हैं जो महिलाओं की रूचि के आधार पर होता है। आजीविका मिशन में ग्रामीण गरीब महिलाओं का 10-15 सदस्यों का समूह निर्माण करके व्यवसाय दिया जाता है। इस मिशन के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं का किस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा भागीदारी है। कई योजनाओं में यह देखा गया है कि हितग्राहियों को लाभ पहचानने में बिचोलियों या शासन के लोगों द्वारा कमिशन जैसे समस्या आती है इस संबंध में नवभारत रायपुर (2005)⁶ में यह प्रकाशन में आया हैं कि अध्ययन क्षेत्र के बगीचा विकासखण्ड के कोरवाओं ने आलू बीज खरीदने के लिए बैंक से ऋण लिया, जिसे बिचोलियों ने ऋण राशि को अवैध तरीके से हड़प लिया था। अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया कि उत्तरदाताओं को किन-किन व्यावसाय का लाभ मिला है।

तालिका क्रमांक -3

आजीविका मिशन के व्यवसाय का लाभ मिलना

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
	उत्तरदाताओं का व्यवसाय		
1.	कृषि	13	32.5
2.	मजदूरी	4	10.0
3.	सिलाई	2	5.0
3.	स्टेशनरी	2	5.0
4.	मशरूम उत्पादन	1	2.5
5.	बुनकर प्रशिक्षण	1	2.5
6.	किराना दुकान	1	2.5
7.	दवाई दुकान	1	2.5
8.	ई-रिक्शा	12	30.0
9.	कैन्टीन	3	7.5
	योग-	40	100

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि बिहान योजना से जुड़ कर कार्य करने वाले व्यवसाय में 2.5 प्रतिशत महिलाये मशरूम उत्पादन, किराना दुकान, बुनकर प्रशिक्षण, दवाई दुकान और 7.5 प्रतिशत महिलाये कैन्टीन, 5.0 प्रतिशत महिलाये सिलाई और स्टेशनरी, तथा 30.0 प्रतिशत महिलाये ई-रिक्शा व्यवसाय करते हैं, लेकिन 32.5 प्रतिशत अधिकतम महिलाये अभी भी कृषि का कार्य करती हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि महिलाये बिहान योजना से तो जुड़ी है पर बिहान योजना के अन्तर्गत जो कार्यक्रम लागू किये हैं उनका सही तरह से जानकारी न हो पाना।

आजीविका मिशन से होने वाली प्राप्त आय:

बिहान योजना में महिलाओं को अलग-अलग कार्यक्रमों में विभाजित करके उनको लोन एवं प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि कार्यों को पूर्ण करके आय प्राप्त कर सकें। आजीविका मिशन के अन्तर्गत यह जानने का प्रयास किया गया है कि योजना से जुड़ी महिलाओं को कितना मासिक आय प्राप्त होता है।

तालिका क्रमांक -4

आजीविका मिशन से होने वाली प्राप्त आय

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
	उत्तरदाताओं की मासिक आय		
1.	1000 रुपये तक	15	40.0
2.	1000-5000	8	20.0
3.	5000-10000	16	37.5
4.	10000 रुपये से अधिक	1	2.5
	योग	40	100.0

प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि बिहान योजना से जुड़ी महिलाओं में 40 प्रतिशत लोगों का मासिक आय 1000 से कम है 37.5 प्रतिशत लोगों का मासिक आय 5000 से 10000 हजार रूपयों के बीच है 20 प्रतिशत लोगों का मासिक आय 1000 से 5000 के बीच में है, और 2.5 प्रतिशत लोगों का 10000 से 15000 के बीच में है।

स्वयं पर राशि खर्च कर पाना :

ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक इतिहास को देखा जाये तो महिलाये अपने पतियों पर आर्थिक रूप से निर्भर रहती थी। धीरे-धीरे महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार के द्वारा कई योजनाओं का निर्माण किया गया ताकि महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सके। 1992-93 के आँकड़ों के मुताबिक भारत में केवल 9.2 प्रतिशत घरों में ही महिलाएं मुखिया की भूमिका में हैं। हालांकि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में लगभग 35 प्रतिशत को महिला-मुखिया द्वारा संचालित पाया गया है। आजीविका मिशन से प्राप्त आय का महिलाये स्वतंत्र रूप से खर्च कर पा रही है या नहीं इसका विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक-5
स्वयं पर राशि खर्च कर पाना

क्रं.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	बिल्कूल भी नहीं	7	17.5
2	कम हद तक	12	30.0
3	सामान्य हद तक	9	22.5
4	बहुत हद तक	12	30.0
	योग -	40	100

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 30.5 प्रतिशत अधिकतम महिलाये बहुत हद तक और कम हद तक और 22.5 प्रतिशत महिलाये सामान्य हद तक खर्च कर पाती है तथा 17.5 प्रतिशत महिलाये बिल्कूल भी खर्च नहीं कर पाती है।

निष्कर्ष :

अध्ययन में प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष: यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या बिहान योजना के प्रति ग्रामीण महिलाओं में अन्य योजनाओं के प्रति जागरूकता का अधिक देखने को मिलता है बिहान योजना अन्य स्वरोजगार योजनाओं की तुलना में आर्थिक रूप से अधिक प्रभावी दिखायी पड़ता है। योजना में शहरी महिलाए जो ई-रिक्शा एवं कैंटील एवं स्टेशनरी जैसे व्यवसाय का चुनाव किया है इनकी आय दूसरे व्यवसाय की अपेक्षा अधिक सफन दिखायी पड़ता है। लगभग 40 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो प्रतिमाह पांच हजार रुपये से अधिक आय अर्जित कर रहे हैं।

योजना से महिलाओं में भाषा का ज्ञान देखने को मिला साथ ही साथ घर से बाहर निकलने का डर बहुत ही कम देखने को मिला। बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई करा रहे हैं जो घर चलाने में दिक्कत होती थी ओ भी पूरा कर रहे हैं अब हमारी जिन्दगी बेहतर से बेहतर हो गया है। महिलाओं द्वारा स्वयं के व्यवसाय से आय अर्जित करने से आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं स्वतंत्रता विकसित हुआ है जो उनके शसक्तिकारण की ओर बढ़ने को दशार्ती है।

Referance :

1. <https://nrlm.gov.in/outerReportAction.do?MethodName=showIndex> (date and time – 29/6/2019 ; 1:30 pm)
2. खोखर, सीमा : कोरवा जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबंध, गुरुघासीदार विश्वविद्यालय, बिलासपुर, 2001, पृ. 238।
3. Gharami, A.K. and Sharma, a.n.: Tribal welfare and Development, Sarup & Sons, New Delhi, 2002, p. 167.
4. Mall, A. and sahu, t.; A Comparative study of indebtedness among the dongria kondh and the juang : adivasi journals, vpl. 44, no. 1 and 2, june and December, 2004 , p.73 –75.
5. नवभारत, हिन्दी दैनिक समाचार – पत्र, रायपुर, मुख्य पष्ठ "कोरवाओं को दिये लाखों के कर्ज में हेराफेरी", 18 सितम्बर, 2005, पृ. 1.।
6. व्यास, नरेन्द्र, आदिवासी समाज एवं उत्थान : आदिवासी विकास एवं प्रथाएं, डिस्कवरी पब्लिसिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2006, पृ. 68 – 74.

